

उचित कदम

दिल्ली में गैर नियोजित यानी अनधिकृत रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट को लेकर सर्वे कराने संबंधी दिल्ली सरकार का कदम सर्वथा उचित है। यमुना को स्वच्छ करने के लिए इन औद्योगिक केंद्रों से निकलने वाले अपशिष्ट की मात्रा और प्रकृति का पता लगाना बेहद आवश्यक है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) को इसके लिए नियुक्त करते हुए सरकार ने यह भी पता करने को कहा है कि यहां से निकलने वाले अपशिष्ट के उपचार के लिए पर्याप्त क्षमता के उपचार संयंत्र हैं भी या नहीं।

राजधानी में नियोजित तरीके से औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाने के बावजूद 27 औद्योगिक क्षेत्र अनधिकृत तौर पर बन जाना निराशाजनक है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में तमाम नियम कायदों को धता बताते हुए इकाइयां चलाई जा रही हैं, जिनसे निकलने वाला अधिकतर अपशिष्ट बिना उपचारित किए यमुना में गिरकर उसे प्रदूषित कर रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अपशिष्ट के उपचार की उचित व्यवस्था की ही जानी चाहिए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इन औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही इकाइयां वायु प्रदूषण संबंधी नियम कानूनों का पालन भी करें, ताकि यमुना को स्वच्छ करने के साथ ही इनसे होने वाले वायु प्रदूषण पर भी रोक लगे।

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही

इकाइयों में वायु प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए

औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार नीरी से कराएगी विशेष अध्ययन

औद्योगिक कचरा यमुना और नालों में गिरने से रोकने के लिए उठाया बड़ा कदम

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली: राजधानी में औद्योगिक कचरे को यमुना एवं नालों में गिरने से रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार की पहल पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) जल्द ही एक व्यापक फील्ड अध्ययन शुरू करने जा रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या राजधानी को औद्योगिक अपशिष्ट के उपचार के लिए और अधिक साझा उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की आवश्यकता है। दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) द्वारा नीरी को सौंपे गए इस अध्ययन में दिल्ली के उन 27 गैर-नियोजित (अनधिकृत) औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो मास्टर प्लान के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों के लिए निर्धारित नहीं थे। इसके बावजूद वहां बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। लगभग दो हजार हेक्टेयर में फैले इन क्षेत्रों में सीवरेज और ट्रीटमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है। नीरी के विशेषज्ञ इन क्षेत्रों में जाकर यह जांचेंगे कि वहां किस तरह के उद्योग चल रहे हैं और उनसे निकलने वाले अपशिष्ट की प्रकृति क्या है।

मौजूदा संयंत्रों का कम उपयोग
चिंता का विषय: दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण



वजीरखद में यमुना में मिलता नजफगढ़ नाला • ध्रुव कुमार

चुनौतियां और विशेषज्ञों की राय

इस परियोजना के सामने सबसे बड़ी चुनौती जमीन की उपलब्धता है। दिल्ली में अधिकांश औद्योगिक भूमि निजी स्वामित्व में है, जिसके लिए औद्योगिक संघों और डीडीए (डीडीए) जैसे निकायों के सहयोग की आवश्यकता होगी। पर्यावरण शोधकर्ता डा फौजिया तरन्नुम के अनुसार, "सिर्फ नए प्लांट लगाना ही काफी नहीं है, पुरानी पाइप लाइनों को ठीक करना और मौजूदा संयंत्रों को आधुनिक बनाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।"

सतत विकास सम्मेलन में वार्ता से परिवर्तन तक होगी बात

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: 25वां विश्व सतत विकास सम्मेलन 25- 27 फरवरी के दौरान दिल्ली में होगा। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) के इस आयोजन में जलवायु कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन), सतत विकास और वैश्विक सहयोग की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही वार्ता से परिवर्तन तक की

बात होगी। इसमें विशेषज्ञों के साथ-साथ देश-विदेश के अनेक मंत्री भी लेंगे भाग। मंगलवार को इंडिया हैबीटेट सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान टेरी की महानिदेशक डा विभा धवन ने कहा कि मौजूदा जलवायु, विकास और धू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच यह सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। डा धवन ने कहा, "धोम 'परिवर्तन :

ट्रांसफॉर्मेशन, विज्ञान, वाइसेस एंड कैल्यूज' सम्मेलन के 25 साल के सफर को दर्शाएगी।

टेरी की निदेशक और सम्मेलन की क्यूरेटर डा शैली केडिया ने एक विज्ञान-नीति मंच के रूप में सम्मेलन का महत्व बताया, जो सबूत-आधारित संवाद और बहु-हितधारक भागीदारी के लिए जाना जाता है।

समिति (डीपीसीसी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली में 13 साझा उपचार संयंत्र (सीईटीपी) कार्यरत हैं। इनकी कुल क्षमता 200 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) से अधिक है। हालांकि चिंताजनक बात यह है कि इस क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही उपयोग किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे की कमी व पुरानी

पाइपलाइनों के कारण औद्योगिक कचरा इन संयंत्रों तक पहुंचने के बजाय सीधे नालों में बह जाता है।

पर्यावरणीय मंजूरी के नियमों में ढील: अध्ययन की शुरुआत ऐसे समय में हो रही है जब केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को एक गजट अधिसूचना जारी कर सीईटीपी स्थापित करने के नियमों को सरल बना दिया है। अब इन संयंत्रों को स्थापित करने के लिए

पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे इनके निर्माण में होने वाली प्रक्रियात्मक देरी कम होगी। डीएसआइआइडीसी के अधिकारियों का कहना है कि नीरी की सिफारिशों के आधार पर दो से पांच नए सीईटीपी स्थापित किए जा सकते हैं। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां रंगाई और रासायनिक इकाइयां अधिक हैं।

उचित कदम >> संपादकीय